सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांकः— एफ. 8—2/2014/1—13 रायपुर दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर छ.ग.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई एवं अपील का निराकरण ।

संदर्भ — 1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र0—एफ 2—27/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20.12.20006.
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र0—एफ 2—11/2006/1—6 रायपुर, दिनांक 20.07.2007
3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र0—एफ 2—11/2006/ 1—6 रायपुर, दिनांक 30.07.2007
4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र0 3941/जी—1249/2010/1—सू.अ.प्र., रायपुर दिनांक 22.12.2010.
5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र0 768/जी—2071/2012/1—सू.अ.प्र., रायपुर दिनांक 29.04.2013

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 एवं शासन द्वारा जारी संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील का निराकरण 30 दिवस एवं सकारण अधिकतम 45 दिवस में किये जाने की विधिक बाध्यता है। कई प्रकरणों में निर्धारित अवधि में निराकरण न होने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को बाध्य होना पड़ता है, जिससे न केवल अपीलार्थी का समय एवं धन का व्यय होता है बल्कि आयोग में भी अनावश्यक अपील प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ ही कई अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्देशों के बावजूद भी बोलता हुआ आदेश पारित न किये जाने के कारण भी द्वितीय अपील प्रस्तुत किया जाता हैं। अपीलीय अधिकारियों का विधिक कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति निर्मित न होने दें। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशों के बावजूद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करते, जिसके कारण भी द्वितीय अपील अथवा शिकायत आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

----2

2. उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम अपील के निराकरण में निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है:—

(1) अपील आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण पंजी में दर्ज किया जाए, ताकि समयावधि में निराकरण की निगरानी हो सके।

(2) प्रथम अपील की कार्रवाई एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है, जिसमें संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाए।

(3) अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की पूर्ण विवेचना के साथ बोलता हुआ एवं तार्किक अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित अवधि में आदेश पारित किया जाए।

(4) अपीलीय आदेश के साथ ही वांछित सूचना/विनिश्चय प्रदाय किया जाए।

राज्य सूचना ...
क्रमांक........
25 NOV 2014

(5) अपीलीय आदेश में निर्धारित अवधि में सूचना प्रदाय करने के निर्देश देने की स्थिति में, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ही स्वयं के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

(6) आदेश का पालन न करने अथवा चूक करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा संबंधित जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए अथवा सक्षम अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. सभी विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा समय–समय पर प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाए। विधि सम्मत जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए।

4 इस ज्ञापन की प्रति प्रत्येक प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रदाय कराना सुनिश्चित किया जाय।

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांकः— एफ. 8—2/2014/1—13 नया रायपुर दिनांक 31 अक्टूबर 2014

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर.
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, शास्त्री चौक, रायपुर.
4. सचिव, छ.ग. विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
5. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क छत्तीसगढ़

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग